भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5452

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

मुंबई में झुग्गी पुनर्वास परियोजनाएं

†5452. श्री संजय दिना पाटील:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुंबई में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली भूमि, विशेषकर घाटकोपर (पश्चिम) में सीटीएस संख्या 73 पर झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के लिए अनुमोदन देने में लगातार देरी के क्या कारण हैं, जिसके कारण झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) योजना के अंतर्गत निवासियों को लाभ से वंचित होना पड़ा है;

(ख) क्या इस भूमि पर एक बड़ी झुग्गी बस्ती लगभग तीस वर्षों से महाराष्ट्र राज्य सरकार की एसआरए योजना के अंतर्गत पुनर्विकास की प्रतीक्षा कर रही है और यदि हां, तो पूर्व सांसदों और विधायकों सहित स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा कई प्रयासों के बावजूद देरी के क्या कारण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार द्वारा इस भूमि का स्वामित्व इस भूमि को एसआरए योजना में शामिल करने में बाधा बन रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे को हल करने और इसे शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने पहले अन्य राज्यों में झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार प्रभावित परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एसआरए योजना के अंतर्गत सीटीएस संख्या 73 को शामिल करने को मंजूरी देने के लिए उपचारी कदम उठाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य का विषय हैं। आवास और स्लम पुनर्वास की निगरानी और पर्यवेक्षण सहित इससे संबंधित योजनाएं राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं । स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) राज्य एजेंसी है जो अपने विनियमों और उपनियमों के अनुसार स्लम पुनर्वास योजना कार्यान्वित करती हैं।

हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में स्लम वासियों सहित पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। पात्र लाभार्थी चार उपलब्ध घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के माध्यम से पीएमएवाई-यू का लाभ उठा सकते हैं इस योजना ने स्लमवासियों सहित लाभार्थियों को आवश्यकता और पात्रता मानदंडों के अनुसार किसी भी घटकों के तहत उठाने की छूट प्रदान की है। पीएमएवाई-यू का आईएसएसआर घटक विशेष रूप से पात्र स्लमवासियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके स्लम के पुनर्विकास के लिए है। हालांकि स्लम निवासी किसी एक घटक के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार की भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियाँ पीएमएवाई-यू के आईएसएसआर घटक के अंतर्गत स्लमवासियों द्वारा कब्जा की गई उनकी भूमि पर "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास भी कर सकती हैं। भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों के पास भूमि प्रबंधन की अपनी नीतियां होती हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसी भूमि पर स्लम बस्तियों के पुनर्वास/पुनर्विकास के लिए ऐसी एजेंसियों के साथ समन्वय कर सकते हैं। मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत केंद्रीय सहायता पर विचार करती है, यदि प्रस्ताव योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद मंत्रालय को भेजे जाते हैं। घाटकोपर (पश्चिम) में सीटीएस संख्या 73 सहित मुंबई में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली भूमि के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए स्लमवासियों सहित एक करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया गया। पात्र स्लमवासीयों पीएमएवाई-यू 2.0 के किसी भी घटकों का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के दिशा-निर्देश और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एकीकृत वेब-पोर्टल https://pmay-urban.gov.in के माध्यम से देखा जा सकता है।

*****